

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली वास्ते संशोधित टाईटल दिनांक 30.01.2023 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

30/1/23 पत्नी ह उमरामा उपरि-मर / बकी ह मरीखर ने संशोधित उक्त पत्र पेश किया। शक्ति ह निर ह रहे। पत्रावली वास्ते पक्ष दिनांक 10/2/23 को पेश हो।

(मनोज कुमार)

राजस्व अपील प्राधिकारी

10/2/23 पत्नी ह उमरामा उपरि-मर / उक्त उक्त में माननीय शासन मंडल से सबी निर ह गए इहे है। माननीय शासन मंडल से शक्ति ह सबी निर ह दिनांक 2/3/23 निर ह है। उक्त पत्रावली निर ह सबी निर ह दिनांक से पूर्व माननीय शासन मंडल से निर ह की जावे। पत्रावली वास्ते निर ह शासन मंडल से गए होत पर पुनः सबी निर ह की जावे। पत्रावली नंबर से पत्रावली जावे।

(मनोज कुमार)  
राजस्व अपील प्राधिकारी